



राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर

शपथ पत्र

मैं (कार्मिक/पेंशनर का नाम).....पुत्री/पुत्र/पति/पत्नि श्री.....
.....निवासी (पूर्ण पता).....जिला-.....
..... का रहने वाला/वाली हूँ। तथा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में (कार्मिक सेवारत होने की स्थिति में पदस्थापन)
में पद.....पर कार्यरत हूँ।
2. मरीज का नाम..... सम्बन्ध (कार्मिक/पेंशनर से).....
का गंभीर स्थिति में दिनांक..... को इस कारण से
.....
(नाम चिकित्सालय)..... में भर्ती करवाया ।
3. मरीज.....रोग से पीड़ित था और उसको तुरन्त चिकित्सा
सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक था। मरीज के निवास स्थान के नजदीक कोई
आरजीएचएस अनुमोदित चिकित्सालय नहीं था। यदि मरीज को तुरन्त चिकित्सा
सुविधा नहीं की जाती तो उसके जीवन को खतरा हो सकता था। अतः जीवन रक्षा के
लिए आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज करवाया गया।

उपरोक्त शपथ पत्र में उल्लेखित की गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य हैं और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं RCSMA(2021) के अनुसार नियमों एवं शर्तों के अनुसार पैकेंज दरों पर पुनर्भरण दावा राशि प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। भविष्य में कोई भी तथ्य गलत पाये जाने पर भुगतान की गई समस्त राशि मेरे द्वारा राजकोष में जमा करवा दी जावेगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....

पद.....

स्थान.....

मोबाईल नं.....

REM ID NO:-.....